रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी, 1, 1971/माघ 12, 1892
No. 17] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 1971/MAGHA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st February, 1971

No. 26/7/70-EC.—The Government of India attaches the highest importance to the development of an integrated and self-reliant electronics industry in the country, as rapidly as possible. Electronics occupies a key position in modern scince and technology. It has a vital role to play in the fields of Atomic Energy, Communications, Defence, Education, Entertainment and Space Technology. It is assuming increasing importance in the monitoring and control of production processes in the Engineering, Chemical and Metallurgical industries. Because of its dynamic character, its pervasive nature and its significant impact on science, industry and society, electronics is today in the vanguard of technological progress. Technological progress and obsolescence are both very rapid in this field. An intensive promotional effort relating to both production and research and development is, therefore, essential to ensure a rapid growth of self-confidence and of indigenous capabilities.

2. In order to ensure the necessary balanced development of electronics in the country, the Government of India consider it necessary to set up an organisation free from all non-essential restrictions or needlessly inelastic rules, which will review the entire field of electronics with regard to research, development and industrial operations, with full authority to formulate policy in this field and to

direct implementation, on sound technical and economic principles, of all measures, both promotional and regulatory, that are necessary for the country to attain self-reliance in the shortest possible time and in the best possible manner.

3. After careful consideration the Government of India have decided to establish an Electronics Commission with full executive and financial powers.

4. *Constitution*:—

(a) The Electronics Commission shall consist of full time and part time members. The total number of members shall be not less than four but not more than seven.

(b) The Chairman of the Electronics Commission will also be Secretary to the Government of India in the Department of Electronics.

(c) A Member of the Commission will be the Member for Finance who shall also be *ex-officio* Secretary to the Government of India in the Department of Electronics in financial matters.

5. *Functions*.—The Electronics Commission shall be responsible:—

The Electronics Commission shall be responsible:—

(a) for formulating policy in the field of electronics, paying due regard to other general policies of Government;

(b) for preparing the budget of the Department of Electronics for each financial year and obtaining Government approval thereto; and

(c) for the implementation of Government policy in all matters concerning electronics through appropriate agencies of Government.

6. Within the limits of the budget provision, approved by Parliament, the Commission shall have the powers of the Government of India, both administrative and financial, for carrying out its work.

7. *Chairman*:—

(a) The Chairman, in his capacity as the Secretary to the Government of India in the Department of Electronics shall be responsible for arriving at decisions on technical questions and advising Government on matters of policy relating to electronics. All recommendations of the Commission on policy and allied matters shall be put up to the Prime Minister through the Chairman.

(b) The Chairman shall have the power to overrule the other Members of the Commission, except that the Member for Finance shall have the right to ask that any financial matter, in which he does not agree with the Chairman, be referred to the Prime Minister and the Finance Minister.

(c) The Chairman may authorise any Member of the Commission to exercise on his behalf, subject to such general or special orders as he may issue from time to time, such of his powers and responsibilities as he may decide.

8. *Member for Finance*.—The Member for Finance shall exercise the powers of a Secretary to the Government of India in the Department of Electronics in all financial matters concerning the Department of Electronics except in so far as such powers have been, or may in future be, conferred on or delegated to the Department.

9. The Commission shall have power to frame its own rules of procedure. It may meet at such times and places in India as may be fixed by the Chairman.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India and all the State Governments/Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. K. SREENIVASAN, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

मंत्रिमंडल कार्य विभाग

संकल्प

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1971

सं० 26/7/70-ई०सी०.—भारत सरकार इस बात को सबसे अधिक महत्व देती है कि देश में यथा-संभव शीघ्र एक समेकित एवं आत्मनिर्भर इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विकास हो। आधुनिक विज्ञान और टेक्नालाजी में इलेक्ट्रानिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। आणविक ऊर्जा, संचार, रक्षा, शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्तरिक्ष टेक्नालाजी के क्षेत्रों में उसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना पड़ता है। इंजीनियरिंग, रसायनों और धातुकर्मीय उद्योगों में संचारक्षण और उत्पादन की विधाओं के नियंत्रण में उसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है। गतिशील होने के कारण, व्यापक स्वरूप और विज्ञान, उद्योग और समाज पर उसका विशेष प्रभाव होने के कारण इलेक्ट्रानिकी आज प्रौद्योगिक उन्नति के लिए अग्रणी है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिक उन्नति और अप्रचलन दोनों ही द्रुत गति से अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी गहन प्रगति-प्रयत्न अत्यावश्यक है जिससे आत्म-विश्वास और स्वदेशीय समार्थ्य-शक्तियों का शीघ्रता से विकास सुनिश्चित हो सके।

2. देश में इलेक्ट्रोनिकी के आवश्यक संतुलित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार अनावश्यक बंधनों और अनावश्यक कठोर नियमों से मुक्त किसी ऐसे संगठन की स्थापना करने का विचार रखती है जो कि अनुसंधान, विकास और औद्योगिक क्रियाविधियों के संबंध में उक्त क्षेत्र में पूर्णाधिकार से नीति निर्धारित करने के लिए और ठोस तकनीकी एवं आर्थिक सिद्धान्तों पर यथा संभव शीघ्र और बढ़िया से बढ़िया ढंग पर देश के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अग्रायक एवं नियामक दोनों ही प्रकार के उपायों के कार्यान्वयन को संचालित करने हेतु इलेक्ट्रानिकी के सम्पूर्ण क्षेत्र की समीक्षा करेगा।

3. सावधानी से विचार विमर्श करने के पश्चात् भारत सरकार ने पूर्ण कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियों से युक्त एक इलेक्ट्रानिकी आयोग की स्थापना करने का निश्चय किया है।

4. गठन:—

(क) इलेक्ट्रानिकी आयोग में पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कम से कम चार और अधिक से अधिक सात होंगी।

(ख) इलेक्ट्रानिकी आयोग के अध्यक्ष इलेक्ट्रानिकी विभाग स्थित भारत सरकार के सचिव भी होंगे।

(ग) आयोग का एक सदस्य वित्त सदस्य होगा और वह वित्तीय मामलों में इलेक्ट्रानिकी विभाग में पदेन भारत सरकार का सचिव भी होगा।

5. **कार्य**:—इलेक्ट्रानिकी आयोग:—

(क) सरकार की अन्य आम-नीतियों का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में नीति-निर्धारण,

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग का बजट तैयार करने और एतदर्थ सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने,

(ग) सरकार के समुपयुक्त अभिकरणों के जरिये इलेक्ट्रानिकी संबंधी सभी मामलों में सरकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

6. संसद द्वारा पारित बजट प्रावधानों की सीमाओं के भीतर, आयोग को अपना कार्य करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों शक्तियां प्राप्त होंगी ।

7. **अध्यक्ष**

(क) इलेक्ट्रानिक्स विभाग में भारत सरकार के सचिव की हैसियत से अध्यक्ष तकनीकी समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने तथा इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी नीति के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी होंगे । नीति तथा सम्बद्ध मामलों में आयोग की सिफारिश अध्यक्ष द्वारा प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी ।

(ख) मतभेद होने पर आयोग के अन्य सदस्यों के निर्णय की तुलना में अध्यक्ष के निर्णय को अधिमान्यता दी जायेगी । वित्त सदस्य इसका अपवाद होगा । जिस मामले में वित्त सदस्य अध्यक्ष से सहमत न हो वह मामला प्रधान मंत्री और वित्त-मंत्री को भेजा जा सकता है ।

(ग) अध्यक्ष आयोग के किसी भी सदस्य को (सामान्य या विशेष आदेश के अधीन जो समय-समय पर जारी हों) अपने निर्णय के अनुसार अपने अधिकारों तथा उत्तर-दायित्वों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं ।

8. **वित्त सदस्य**—सौंपे गये या भविष्य में सौंपे जाने वाले मामलों को छोड़कर विभाग के सभी वित्तीय मामलों में वित्त-सदस्य इलेक्ट्रोनिक्स विभाग स्थित सचिव, भारत सरकार के अधिकारों का प्रयोग करेंगे ।

9. आयोग स्वयं अपने लिए कार्यविधि सम्बन्धी नियमों को बनाने की शक्ति रखेगा । इसकी बैठक भारत के उस स्थान में और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों को परिचालित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये ।

एन० के० श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971